UPAU010072162019

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 01, औरैया।

उपस्थितः पी.एन. श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–16/2019

राज्य ..... अभियोजन

बनाम

सुलेमान खां पुत्र लाल खां आयु 85 वर्ष
निवासी मुहल्ला पठानटोला थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

..... अभियुक्त

अपराध संख्या 15/2000
अंतर्गत धारा 147, 148, 149/323, 279, 338, 304 ए, 504, 506 भा०दं०सं०, 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० व धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट
थाना फफूंद, जिला औरैया।

निर्णय

01. अभियुक्त सुलेमान खां ने जरिये जेलर जिला कारागार इटावा अपना अपराध स्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त को अपराध संस्वीकृति व उसके परिणामों से अवगत कराया गया, लेकिन अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

02. अभियोजन कथन के अनुसार दिनांक 16.01.2000 दिन में 02.00 बजे अभियुक्त सुलेमान खां, अयूब खां, मुन्ना खां, अफजाल हुसैन और मुकेश वर्मा ने विधि विरुद्ध जमाव बनाया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी अनवर कुरैसी के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी तथा जीप को लापरवाही से चलाकर बाउंड्री वॉल को टक्कर मार दी, जिसके पलटने से कई लोगों को चोट आयी। सरवरी बेगम, फैय्याज खां एवं दो और की मौत हो गयी। मौके पर अभियुक्तों ने हथगोला फेंका, जिससे दहशत का वातावरण उत्पन्न

Digitally signed by Prakash Nath Srivastava
Date: 2022.12.20 15:30:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हो गया। सत्र सुपुर्दगी के पश्चात सभी अभियुक्तों का आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 149/323, 279, 338, 304ए, 504, 506 भा०दं०सं०, 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० व धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित होते हैं। अतः सुलेमान खां को धारा 147, 148, 149/323, 279, 338, 304ए, 504, 506 भा०दं०सं०, 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० व धारा 7 सी.एल.ए. एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उसे दण्ड के बिन्दु पर सुना।

दिनांक 20.12.2022

(पी.एन. श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 01, औरैया।
J.O. Code No. UP 5734

अभियुक्त सुलेमान खां की आयु 85 वर्ष की हो चुकी है और न्यायिक अभिरक्षा में पांच वर्ष से अधिक समय से निरुद्ध है। अतः अभियुक्त को सिद्ध आरोपों के लिए निम्न दण्डादेश दिया जाता है–

1. अभियुक्त को धारा 147 भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए छः माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

2. अभियुक्त को धारा 148 भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

3. अभियुक्त को धारा 149/323 भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए छः माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

4. अभियुक्त को धारा 504 भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए छः माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

5. अभियुक्त को धारा 506 भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

6. अभियुक्त को धारा 279 भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए छः माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

7. अभियुक्त को धारा 338 भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए तीन माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

8. अभियुक्त को धारा 304ए भारतीय दण्ड विधान के आरोप के लिए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

9. अभियुक्त को धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोप के लिए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त एक सप्ताह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

10. अभियुक्त को धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोप के लिए छः माह के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

11. अभियुक्त को दी गयी उपरोक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी तथा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि धारा 428 सीआर.पी.सी. के अन्तर्गत समायोजित की जायेगी।

12. अभियुक्त को दोषसिद्धि वारंट के अधीन सजा भुगतने के लिये जिला कारागार, इटावा प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्णय/दंडादेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 20.12.2022

(पी.एन. श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 01, औरैया।
J.O. Code No. UP 5734

यह आदेश/निर्णय आज मेंरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 20.12.2022

(पी.एन. श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 01, औरैया।
J.O. Code No. UP 5734